न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-405RAABarmer2025-110RTA223 Nawab ors Vs Feju etc

1. नवाब पुत्र निभरा फौत के कायम मुकामः—
   1.1. हामीद पुत्र नवाब
   1.2. मीरखान पुत्र नवाब
   1.3. मलीर पुत्र नवाब
   1.4. फरीद पुत्र नवाब
   1.5. अभन पुत्र नवाब
   1.6. निभरा पुत्र नवाब
   1.7. जीवनण पुत्र नवाब
   1.8. कुण्डा पुत्र नवाब
   1.9. करीमा पत्नि नवाब
2. भाईखान पुत्र निभरा
3. माणक पुत्र निभरा
4. मांजी पुत्र अलफ
5. रजाक पुत्र अलफ
6. ओढाणी पत्नि अलफ

जातियान मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेडवा जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. फैजू पुत्र बचाया के कायम मुकामः—
   1.1. बचाया पुत्र फैजू
   1.2. सरूपा पत्नि फैजू
2. अली मोहम्मद पुत्र बचाया
3. सलीम पुत्र बचाया
4. उम्मेद अली पुत्र नूरा
5. अबुबकर पुत्र नूरा
6. दादला पुत्र नूरा
7. सचल पुत्र नूरा
8. वरियाम पुत्र दरियाखां
9. चनेसर पुत्र दरियाखां
10. धोदल पुत्र दरियाखां
11. मोरियत पत्नि दरियाखां
12. अनवर पुत्र आदम
13. अब्दुल कलाम पुत्र वारस
14. अमीर पुत्र जानी
15. अरबी पुत्र अमीन
16. अलाना पुत्र लतीफ फौत के कायम मुकामः—
    16.1. शरीफ पुत्र अलाना
    16.2. करीम पुत्र अलाना
17. आसीयत पत्नि फैजू
18. इसाक पुत्र शेरखान फौत के कायम मुकामः—
    18.1. मनीया पुत्र इसाक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

19.कारू पुत्र शेरखां
20.गुल पुत्र मोडा
21.छुटा पुत्र मीठू
22.जमरदीन पुत्र मोडा फौत के कायम मुकामः—
22.1. मगन पुत्र जमरदीन
22.2. इशाक पुत्र जमरदीन
22.3. हकीमा पत्नि जमरदीन
23.जमाल पुत्र एलियास
24.नसीर पुत्र सदीक फौत के कायम मुकाम
24.1. मीर पुत्र नसीर
24.2. जमील पुत्र नसीर
24.3. रसीद पुत्र नजीर
24.4. शरमी पत्नि नसीर
25.पनू पुत्र आदम
26.फजल पुत्र आदम फौत के कायम मुकामः—
26.1. एहसान पुत्र फजल
26.2. पोड़ा पुत्र फजल
27.बचू पुत्र जानी
28.बची पत्नि जानी
29.बरकल अली पुत्र अमीन
30.भानी पत्नि अमीन
31.मुकीम पुत्र आगू
32.मजीर पुत्र आगू
33.मनई पुत्र वारस
34.मेहरण पुत्र आगु
35.गीयल पुत्र आगु
36.लुकमान पुत्र आदम फौत के कायम मुकामः—
36.1. सखी पुत्र लुकमान
36.2. खतीजा पत्नि लुकमान
37.लतीफ पुत्र शेरखां
38.लिकायत पुत्र अमीन फौत के कायम मुकामः—
38.1. खानू पुत्र लिकायत
38.2. जुला पुत्र लिकायत
38.3. नसीबा पत्नि लिकायत
39.सतार पुत्र मीठू
40.सफी पुत्र दोसू
41.साजन पुत्र जानी
42.साभर पुत्र पुत्र पोड़ा
43.साले पुत्र आदम
44.सालखा पत्र अमीन
45.सोरठ पत्नि वरस
46.हाजी पुत्र दोषू
जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेडवा जिला बाडमेर
47.श्रीमान तहसीलदार सेडवा जिला बाड़मेर

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2025(संशोधित 21.07.2025) सहायक कलक्टर सेड़वा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2022 फेजू के कायम मुकाम व अन्य बनाम नवाब के कायम मुकाम इत्यादि

उपस्थित–
श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 से 11
श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 12, 13, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 19, 21, 24/1 से 24/4, 25, 30, 33, 36/1 से 36/2, 37/1 से 38/3, 40, 43 से 46

नि र्ण य

दिनांक : 04 फरवरी 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2022 अनवान फेजु के कायम मुकाम व अन्य बनाम नवाब के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2025(संशोधित 21 जुलाई 2025) के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 06.08.2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से ग्यारह/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सिंहानिया पटवार हल्का अरटी के नवीन खसरा संख्या 176 रकबा 14.2692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 193 रकबा 17.9033 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343 रकबा 11.6711 हैक्टेयर कुल रकबा 43. 8436 हैक्टेयर व इसी ग्राम के खसरा नम्बर 524/234 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हैक्टेयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हैक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल कबा 4. 7347 हेक्टयर व ग्राम पाबुदानपुरा पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हैक्टेयर भूमि वादीगण के दादा/पड़दादा स्व. अलफ के नाम पुश्तैनी भूमि आयी हुई है, जिसमें वादीगण का 3/4 हिस्सा मालिकाना हक हकुक व कब्जे काश्त का आया हुआ है। वादीगण के दादा अलफ के फौत होने पर ग्राम सिंहानिया के खसरा संख्या 176, 193, 343 में उनके वारिश निभरा, बचाया, नूराखा, दरीयाखां के नाम दर्ज हुई, लेकिन ग्राम सिंहानिया के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 524/234 रकबा 0.0405 हेक्टयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हैक्टेयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हैक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल कबा 4.7347

राजस्व अपील प्राधिकारी

हेक्टयर व ग्राम पाबुदानपुरा पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13. 0390 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ। वादीगण कानूनी हक पाने के अधिकारी है। उसके बावजूद भी वादीगण को बिना सुनवाई किये उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया तथा उन्हे हक हकुकों से वंचित कर दिया, जिससे ऐसा करने का सेन्टलमेंट अधिकारियों का कानूनी हक व अधिकार नहीं था। वादीगण के दादा स्व अलफ थे। स्व. अलफ के फौत होने पर उक्त पर चारों पुत्र निमरा, बचाया, नूराखां, दरियाखां के नाम दर्ज हुई तथा अलफ निर्सवयती फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में वादीगण का नाम विधिवत व कानूनीया दर्ज करना था जो नहीं कर सेंन्टलमेंट अधिकारियों ने बिना जांच पडताल किये व निभरा ने सेंन्टलमेंट अधिकारियों से मिलकर अपने अकेले के नाम करवा ली। उस वक्त वादीगण के पिता नाबालिग होने से प्रतिवादीगण ने मिलकर वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बना गैर कानूनी रूप से भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से हस्तातरित नहीं किया है। उसके बावजूद भी सेन्टलमेंट अधिकारियों ने वादीगण का नाम दर्ज नहीं कर उन्हें अपने हकुकों से वंचित कर उनके हितों पर कुठाराघात किया है जो ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण स्व. अलफ के प्रथम श्रेणी के वारिशान होने से उसमें हक हकुक पाने के अधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी के खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार होने से दावा हाजा पेश किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/उतरदातागण का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट्स/ प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये, जिस पर अपीलान्ट्स द्वारा अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता को नियुक्त किया गया तथा अधिवक्ता ने अपीलान्ट्स की ओर से पूर्ण रूप से पैरवी करने हेतु हिदायत दी गई तथा जब न्यायालय में आवश्यकता होगी तब सूचित करने का आश्वासन दिया गया, परन्तु अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट्स की ओर से समुचित रूप से पैरवी नहीं की गई तथा अपीलान्ट्स की ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया तथा न ही किसी प्रकार की पैरवी की गई तथा न ही साक्ष्य हेतु अपीलान्ट्स को सूचित किया गया। इस प्रकार अधिवक्ता की लापरवाही व गलती की सजा पक्षकार को दिया जाना कतई विधि सम्मत नहीं है। उतरदाता संख्या 1 से 11 वादग्रस्त भूमि ग्राम सिंहानिया के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 524/234 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हैक्टेयर, खसरा संख्या 954/527 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हैक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल कबा 4.7347 हेक्टयर व ग्राम पाबुदानपुरा पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13. 0390 हैक्टेयर में रेकर्डेड खातेदार नहीं है तथा न ही उतरदाता संख्या 1 से 11 का उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भूमि पर कोई कब्जा काश्त है तथा न ही उनका इस भूमि से कोई सरोकार है, फिर भी अपीलान्टगण को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय तौर से अजनबी व्यक्तियों को अपीलान्टगण की भूमि में 3/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित होने से उक्त निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से आदेश 06 नियम 17 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद की ईस्तदुआ को संशोधित किये जाने का निवेदन किया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार तो कर लिया गया, किंतु संशोधित वाद प्रस्तुत नहीं हुआ। अपीलान्ट्स वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही व जवाबदावा रेकर्ड पर लिये बिना तथा उसकी साक्ष्य लिये बिना ही प्रकरण में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। इस कारण अपीलान्टगण को अपने अधिकारो से महरूम होना पड़ा। अपीलान्ट्स रेकर्डेड खातेदार होने से उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार उन्हें उक्त वाद में सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध निर्णय पारित करने में तथ्यों की भारी भूल की है। यह उल्लेखनीय है कि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 31 लुकमान पुत्र आदम व प्रतिवादी संख्या 33 लिकायत का देहान्त हो चुका था, परन्तु उक्त मृत पक्षकारों की कोई सूचना रेकर्ड पर नहीं आई तथा न ही उनके कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये गये तथा मृतक पक्षकारों के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। जिस कारण उक्त निर्णय एवं डिक्री प्रारम्भ से ही खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके की स्थिति के बारे में कोई मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई है तथा मौके पर उत्तरदाता संख्या 1 से 11 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। जिस कारण उत्तरदाता संख्या 1 से 11 ने गलत रूप से वाद पेश किया तथा उत्तरदाता संख्या 1 से 11 के मात्र मौखिक कथनों पर विश्वास कर एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2022 अनवान फेजु के कायम मुकाम व अन्य बनाम नवाब के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2025(संशोधित 21 जुलाई 2025) को अपास्त किया जावे।

जवाब में उतरदातागण संख्या एक से ग्यारह के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पूर्व उतरदातागण के दादा अलफ की खातेदारी में दर्ज रहने से उनकी पुश्तैनी भूमि है। सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों की गलती से वादीगण के पिता का नाम वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज नहीं किया गया था। वादीगण/रेस्पो. की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद को जरिये दस्तावेजी

राजस्व अपील प्राधिकारी

एवं मौखिक साक्ष्य साबित किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर उनकी ओर से अधिवकता उपस्थित हुए है तथा विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर उज्र है, विचारण न्यायालय द्वारा इसी अनुसार निर्णय पारित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

रेस्पो. संख्या की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का समर्थन करते हुए अपीलांट को वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के वक्त सेटमेंट से खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलांट्स का कथन है कि उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा न तो अपीलांट्स की ओर से समुचित पैरवी की गई है तथा न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है, न ही उनकी ओर से साक्ष्य/दस्तावेज प्रदर्श हुए है तथा न ही वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह्न से जिरह की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 31 व 33 फौत हो चुके थे, जिनके वारिसान् को रेकर्ड पर लिये जाने के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलांट्स वक्त सेटलमेंट से वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार दर्ज होने से प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2022 अनवान फेजु के कायम मुकाम व अन्य बनाम नवाब के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2025(संशोधित 21 जुलाई 2025) अपास्त किये जाते है तथा मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए वाद पत्र एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायम करते हुए उन पर उभय पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए मूल वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर